प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, थ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2021.**
   प्र0इ0रि0 सं. 180/2022 दिनांक 11/5/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**..... धाराये.....**7,7ए**
   (II) * अधिनियम.....**भा. दं. सं**.....धारायें ....120 बी.....
   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....237..... समय 7:00 PM,
   (ब) * अपराध घटने का वार.....**मंगलवार**.....दिनांक....10.05.2022 समय 09.05 **ए.एम से**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **07.05.2022**

4. सूचना की किस्म :–लिखित/मौखिक–**मौखिक व लिखित**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–55 किलोमीटर
   (ब)*पता..... .....
   .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री **नरपत सिंह राजावत**
   (ब) पिता/पति का नाम श्री रेवड सिंह राजावत
   (स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....**उम्र 27 साल**.....
   (द) राष्ट्रीयता .....**भारतीय**.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय .....
   (ल) पता – गांव कुन्दनराजपुरा तहसील बस्सी पुलिस थाना तूंगा जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
   1– श्री छाजूलाल शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा जाति बह्मण उम्र 53 साल निवासी नरहरीपुरा तहसील चाकसू पुलिस थाना शिवदासपुरा दक्षिण जिला आयुक्तालय जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस. पुलिस थाना तुंगा आयुक्तालय जयपुर पूर्व
   2– श्री दीपक सिंह बांकावत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपुत उम्र 30 साल निवासी तुंगी तह बस्सी पुलिस थाना पुलिस तुंगा आयुक्तालय जयपुर पूर्व हाल लेब टेक्निसीयन मनोहर हॉस्पीटल एवं डेन्टल क्लिनिक तुंगा जिला जयपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
   .....———.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
   .....**रिश्वती राशि .....10000/– रूपये**

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 10000/–**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 07.05.2022 को श्रीमति वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक अवगत कराया कि एक परिवादी

जिसका नाम श्री नरपत सिंह है, ने एसीबी के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कोई रिश्वत मांग संबधी शिकायत दर्ज करवायी है। जिसके मोबाईल नम्बर 8742804533 है आप उससे मोबाईल पर वार्ता करे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मोबाईल नम्बर 8742804533 पर वार्ता की तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम पता श्री नरपत सिंह राजावत पुत्र श्री रेवड़ सिंह निवासी–ग्राम कुन्दनपुरा तहसील बस्सी बताते हुये अवगत करवाया कि मेरे श्री हनुमान शर्मा पुत्र श्री मुलचन्द शर्मा निवासी नगराजपुरा से मजदूरी के करीब 6000 रूपये निकल रहे है जिन को मांगने के लिए मै दिनांक 4–5–2022 को हनुमान शर्मा के पास गया तो मेरे तथा हनुमान शर्मा के बीच विवाद हो गया तो मैने 100 नम्बर पर पुलिस को फोन कर दिया जिस पर तुगॉ थाना पुलिस मेरे पास आयी व मुझे थाने पर ले गई। थाने पर ले जाकर मुझे छाजुलाल शर्मा ASI ने धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया जिस पर मेरी दिनांक 06.05.2022 को जमानत हुयी थी गिरफ्तारी के समय मेरे पास करीब 10700/– रूपये थे। मेरे उक्त रूपये व मेरा मोबाईल फोन पुलिस ने जब्त कर लिए थे, दिनांक 6–5–2022 जमानत होने के बाद मैं थाना तुगॉ पर गया, तो वहा श्री छाजुलाल ASI से मैने मेरे 10700/– रूपये व मेरा मोबाईल फोन मागॉ तो उसने मुझे मोबाईल फोन तो दे दिया, लेकिन 10700 रूपये के बारे में कहा कि ये रूपये तेरे को नही मिलेगे दूसरी पार्टी हनुमान शर्मा तेरे खिलाफ लुट की रिपोर्ट दे रहा है जिस से बचना हो तो रिश्वत के रूप में खर्चा पानी के 25000/– हजार रूपये मुझे दे, जबकि मैंने जानकारी की तो अभी तक पुलिस ने मेरे खिलाफ लुट की कोई FIR दर्ज नही की गयी है फिर भी श्री छाजुलाल शर्मा ASI मुझ से 25000/– हजार रूपये रिश्वत की मॉग कर रहा है जिसे मैं रिश्वत नही देना चाहता हूॅ व उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूॅ। उक्त ए.एस.आई. मुझे वार्ता करने के लिये अभी थाने पर बुला रहा है। इस पर मैने परिवादी से कहा कि आप जयपुर एसीबी कार्यालय आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करों। इस पर परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने व मेरे पास जयपुर ए.सी.बी. कार्यालय आने के लिये अभी कोई साधन की व्यवस्था नहीं है अतः आज मै जयपुर नही आ सकता, बाद में जयपुर आकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा। मैंने रिश्वत की शिकायत ए.सी.बी. के ट्रोल फ्री नं. 1064 पर की है। आप किसी कर्मचारी को बस्सी रीको एरिया में भेज देना, मै वही मिल जाउंगा। परिवादी से मोबाईल पर हुयी वार्ता के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत मांग का होना प्रतीत होता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया ने निर्देश दिये कि आप रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के लिये श्री धर्मवीर सिंह कानि. नं. 236 को निर्देशित करे कि वह कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड में नया खाली मेमोरी कार्ड लगाकर मांग सत्यापन कराने जाये, मांग सत्यापन करने पर आरोपी श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक ने 25000 रूपये मांगकर 20,000 रूपये में सहमति देकर परिवादी से सत्यापन के समय जप्ती के 10,000 रूपये प्राप्त करे लिये। इसके पश्चात दिनांक 08.05.2022 को परिवादी श्री नरपत सिंह एसीबी कार्यालय आया जिससे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री नरपत सिंह राजावत पुत्र श्री रेवड सिंह जाति राजपुत, उम्र 27 साल निवासी कुन्दनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर होना बताया तथा कल दिनांक 07.05.2022 को हुई वार्ता को दोहराया। इसके पश्चात परिवादी ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि "सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ACB जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर, विषयः रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाने बाबत, महोदय, निवेदन है कि मै गॉव कुन्दनपुरा (बः) बस्सी जिला जयपुर का रहने वाला हू मैरे श्री हनुमान शर्मा s% मुलचन्द शर्मा निवासी नगराजपुरा पर मजदूरी के करीब 6000 रूपये निकल रहे है जिन को मांगने के लिए मै दिनांक 4–5–2022 को हनुमान शर्मा के पास गया तो मैरे तथा हनुमान शर्मा के बीच विवद हो गया तो मैने 100 नम्बर पर पुलिस को फोन कर दिया जिस पर तुगॉ थाना पुलिस मैरे पास आई मुजे थाने पर ले गई। थाने पर लेजकार मुजे छाजुलाल शर्मा ASI ने धारा 151 में गिरफदार कर लिया जिस पर मेरी दिनांक 06.05.2022 को जमानत हुयी थी। गिरफदारी के समय मैरे पास करीब 10700 रूपये (दस हजार सात सौ रूपये) थे। मैरे उक्त रूपये वह मैरा मोबाईल फोन पुलिस ने जब्त कर लिए दिनांक 6–5–2022 जमान्त होने के बाद मै थाना तुगॉ पर गया वह श्री छाजुलाल ASI से मैने मैरे 10700 वह मैर मोबाईल फोन मागॉ तो

उसने मुझे मोबाईल फोन तो दे दिया लेकिन रूपये के बारे में कहा कि ये रूपये तेरे को नही मिलेगे दसरी पालटी हनुमान शर्मा तेरे खिलाफ लुट की रिपोर्ट दे रही है जिस से बचना हो तो रिश्वत के रूप खरचा पानी के 25000 (पचीस हजार) रूपये मुजे दे जब कि मैने जानकी की है कि अभी तक पुलिस ने मैरे खिलाफ लुट की कोई FIR दर्ज नही कि है फिर भी श्री छाजुलाल शर्मा ASI मुज से 25000(पचीस हजार रूपये) रिश्वत की मॉग कर रहा है जिस मै रिश्वत नही देना चाहता हू वह उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू कानूनी कार वाई करने की कर पा करे प्रार्थी नरपत सिह राजवत पुत्र श्री रेवड सिंह जाति राजपुत उम्र 27 निवासी गॉव कुन्दनपुरा तः बस्सी थाना तुगॉ जिला जयपुर दिनांक 08.05.2022 फोन 8742804533 ।" उक्त पत्र पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मुझे लिखित में कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर बताया कि मै मजदूरी का काम करता हूँ। मैने श्री हनुमान प्रसाद निवासी नगराजपुरा के खेत पर कार्य किया था जिसके 6000 रूपये मजदूरी बनी थी जो मैने श्री हनुमान प्रसाद से दिनांक 04.05.2022 को उसके घर जाकर मांगे तो उसने नहीं दिये। इस पर मैने 100 नम्बर पर कॉल किया तो पुलिस थाना तूंगा से पुलिस वाले आये तथा मुझे पुलिस थाना तूंगा पर ले गये, जहां पर श्री छाजूलाल एएसआई ने मुझे पुलिस थाना में बंद कर दिया तथा दिनांक 06.05.2022 को गिरफ्तार किया तथा मेरा मोबाईल फोन व 10700 रूपये उन्होने ले लिये। इसके पश्चात मेरी जमानत होने पर मै पुलिस थाना तूंगा जाकर श्री छाजूलाल एएसआई से मेरा मोबाईल व 10700 रूपये मांगे तो श्री छाजूलाल एएसआई ने मुझे धमकाकर कहा कि श्री हनुमानप्रसाद शर्मा ने तुम्हारे विरूद्व लूट की रिपोर्ट दी है अगर तुमको बचना है तो 25000 रूपये मुझे देना होगा। परिवादी ने बताया कि मै उक्त भ्रष्ट अधिकारी को पकडवाना चाहता हूँ इसलिये मैने दिनांक 07.05.2022 को एसीबी के नम्बर 1064 पर कॉल किया। परिवादी ने बताया कि मेरे साथ श्री दीपक सिंह नाम का व्यक्ति साथ गया जो आरोपी श्री छाजूलाल एएसआई का जानकार है जो अक्सर थाने पर आता जाता रहता है। आरोपी श्री छाजूलाल एएसआई श्री दीपक सिंह के मार्फत रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। परिवादी द्वारा मजिद दरियाफ्त व मांग सत्यापन में हुई वार्ता से रिश्वत मांग सत्यापन की पुष्टि होती है तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर कल दिनांक 09.05.2022 को समय 08.00 एएम पर उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश देकर रूख्स्त किया तथा पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश सिंह तंवर व श्री सुरेन्द्र कुमार को दिनांक 09.05.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। इसके पश्चात दिनांक 09.05.2022 को परिवादी श्री नरपत सिंह उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक व दूसरे ने अपना नाम श्री सुरेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परियच देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना श्री लोकेन्द्र सिंह तंवर पुत्र श्री ओंकार सिंह जाति राजपूत उम्र 49 साल निवासी प्लॉट नम्बर 2 राममन्दिर के पास 80 फीट रोड महेशनगर जयपुर हाल कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जन स्वास्थ्य, अभि, विभाग, राजस्थान प्रयोगशाला, गांधी नगर, जयपुर मोबाईल नम्बर 9829894463 व दूसरे ने अपना नाम श्री सुरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्र स्व श्री रामबाबू खण्डेलवाल उम्र 34 वर्ष निवासी मकान न. मकान नम्बर 63 गंगासागर कॉलोनी आगरा रोड जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत जयपुर। मोबाईल नम्बर 9782459761 होना बताया। इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह से परिवादी श्री नरपत सिंह का आपस में परिचय करवाया गया तथा ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात परिवादी श्री नरपत सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेश सिंह तंवर व श्री सुरेन्द्र कुमार की उपस्थित में दिनांक 07.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट बनाई जाकर सीडीयॉ बनाई जाकर सील्ड मोहर कर वजह सबूत जप्त की गई। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नरपत सिंह को संदिग्ध आरोपी श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना तूंगा जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री नरपत

सिंह ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10000/–रूपये निकालकर पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर मन पुलिस निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री गोविन्द सिंह है0 कानि0 29 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री गोविन्द है0कानि0 29 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री विकास कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन,आधार कार्ड के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन व आधार कार्ड छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात परिवादी श्री नरपत सिह की पहने हुऐ पेन्ट की सामने की नीचे की दाहिनी तरफ की जेब में श्री गोविन्द सिंह मुख्य आरक्षी से रखवाये गये व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

इसके पश्चात समय 11:20 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्रीमती अनिता मीणा पुलिस निरीक्षक श्री नाथूलाल उप निरीक्षक, श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षी न 09, श्री सरदार सिंह कानि न 187, रजनीश कानि न 228, श्री धर्मवीर सिंह कानि न. 236, श्री ओमप्रकाश कानि न 438, श्री इन्द्र सिंह कानि न 148, श्रीमती नीलम मकानि 22, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह व श्री सुरेन्द्र कुमार एंव परिवादी श्री नरपत सिंह मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन चालक के एसीबी कार्यालय से तूंगा जयपुर के लिए रवाना हुऐ तथा श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी इमदाद के लिए हमराह रवाना होकर पुलिस थाना तूंगा से पूर्व गाडीया रूकवाकर परिवादी श्री नरपत सिंह को आरोपी छाजूलाल एएसआई को रिश्वत राशि देने के लिए रवाना किया तथा श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षी व श्री रजनीश कानि को तथा स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह व श्री सुरेन्द्र कुमार को पीछे पीछे रवाना किया तथा शेष जाप्ता परिवादी के निर्धारित ईशारे के लिए अपनी अपनी पहचान छूपाते हुऐ मुकिम हुऐ। कुछ समय पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के पास परिवादी बिना ईशारे करे आया तथा अवगत कराया कि श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक अभी थाने पर उपस्थित नही है कही बाहर जाना बताया। परिवादी ने बताया कि मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर अभी चालू नहीं किया था। इस पर परिवादी को आस पास रहकर आरोपी श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक के आने का इन्तजार करने के निर्देश दिये तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान भी पुलिस थाना के आस पास गोपनीयता बनाये रखते हुऐ मुकिम हुऐ। इसके पश्चात समय 7:25 पी.एम पर परिवादी श्री नरपत सिंह मेरे पास आया तथा कहा कि आरोपी श्री छाजूलाल ने पूर्व में मुझे सब्जी लाने के लिए कहा है जो मै गांव जाकर ले आया हूँ अब मै श्री छाजूलाल से मिलने के लिए पुलिस थाना मे जाता हूँ जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नरपत सिह को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की विधि पुनः समझाकर मुनासिब हिदायत दी जाकर पुलिस थाना तूंगा के लिए रवाना किया व ट्रैप पार्टी व स्वतंत्र गवाह को पुलिस थाना के आस पास रहने के निर्देश दिये। कुछ समय पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के पास परिवादी बिना ईशारे करे आया तथा अवगत कराया कि मै डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर थाने के बाहर गेट पर जाकर मेरे मोबाईल नम्बर 8742804533 से आरोपी श्री छाजूलाल के मोबाईल नम्बर . 9928986191 पर समय 07.52 पर कॉल कर कहा कि सर मै सब्जी लेकर आ गया तो आरोपी श्री छाजूलाल ने कहा क अभी रॉल कॉल चल रहा है मै बाहर आ रहा हूँ। कुछ समय पश्चात आरोपी श्री छाजूलाल बाहर आया तथा सब्जी लेकर कहा कि उसको (दीपक सिंह)दे देना। परिवादी ने बताया कि श्री दीपक सिंह का लैब तूंगा कस्बा की तरफ है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नरपत सिंह को संदिग्ध आरोपी श्री दीपक सिंह को रिश्वत राशि देने के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाह परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुऐ। इसके पश्चात परिवादी श्री नरपत सिंह मन् पुलिस निरीक्षक के पास बिना ईशारे करे आया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बंद हाल में सुपुर्द कर कहा कि अभी तो श्री दीपक सिंह की दुकान बंद हो गई है। कल सुबह उसको रिश्वत राशि दी जा सकती है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को साईड मे ले जाकर स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि निकालकर फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट से मिलान

करवाकर एक सफेद लिफाफे रखवाया गये तथा उक्त लिफाफे को श्रीमती नीलम महिला कानि 22 से सरकारी वाहन के आगे की सीट के डेस्कबोर्ड में सुरिक्षत रखवाया गया। परिवादी श्री नरपत सिंह ने बताया कि अभी मेरे फोन नम्बर 8742804533 पर श्री दीपक सिह के मोबाईल फोन नम्बर 9950881886 से समय 08.09 पीएम.पर फोन आया तथा मुझे कहा कि वो साहब का फोन आया है तो मैने कहा कि अभी तो मै गांव निकल गया हूँ सुबह आकर मिलता हूँ। उक्त वार्ता को मैने मेरे मोबाईल फोन में रिकॉर्डर कर ली है जो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। परिवादी को कल दिनांक 10.05.2022 को समय 07.00 एएम पर दुबली ग्राम के पास मिलने के निर्देश देकर रूख्स्त किया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व स्तवंत्र गवाह एंव लैपटॉप प्रिन्टर व अन्य सामग्री के जयपुर के लिए रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुँचे तथा स्वतंत्र गवाह को सुबह 6.30 एएम पर कार्यालय उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर रूख्स्त किया तथा रिश्वत राशि 10000 रूपये को श्रीमती नीलम मकानि से डेस्क बोर्ड से निकलवाया जाकर सुरिक्षत कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। समस्त स्टॉफ को सुबह 6.30 एएम पर कार्यालय उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। दिनांक 10.05.2022 को स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिह तंवर उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि श्री सुरेन्द्र कुमार आगरा रोड पर मिल जायेगा। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती नीलम मकानि 22 से अलमारी मे रखी रिश्वत राशि 10000 रूपये लिफाफे सहित मंगवाये जाकर सरकारी वाहन की आगे के डेस्क बोर्ड में सुरक्षित रखवाय गये। इसके पश्चात समय 7:00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्रीमती अनिता मीणा पुलिस निरीक्षक श्री नाथूलाल उप निरीक्षक, श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षी न 09, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री रजनीश कानि न 228, श्री धर्मवीर सिंह कानि न. 236., श्री ओमप्रकाश कानि न 438, श्री इन्द्र सिंह कानि न 148, श्रीमती नीलम मकानि 22, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह एंव श्री सुरेन्द्र कुमार मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन के अलग अलग एसीबी कार्यालय से तूंगा जयपुर के लिए रवाना हुऐ तथा श्रीमती वंदना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी इमदाद के लिए हमराह रवाना हुऐ तथा रास्ते में आगरा रोड से स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित मिला जिसको हमराह लेकर तूंगा के लिए रवाना होकर तूंगा से पूर्व दूबली गांव पहुँचे, जहां पर परिवादी श्री नरपत सिंह उपस्थित मिला। जिसको स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्व में परिवादी द्वारा दी गई रिश्वत राशि 10000 रूपये जो श्रीमती नीलम मकानि से गाडी के डेस्क बोर्ड में सुरक्षित रखवाई गई थी, उक्त राशि श्रीमती नीलम मकानि 22 से गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाने पर भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10000/–रूपये होना पाये गये। श्रीमती नीलम मकानि 22 द्वारा एक एक नोट स्वतंत्र गवाह को दिखाकर रिश्वत राशि के नम्बरो को पूर्व में दिनांक 09.05.2022 को बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया जो हुबहू होना पाई गई। इसके बाद परिवादी श्री नरपत सिंह राजावत की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार से लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन व आधार कार्ड छोडा गया। इसके बाद श्रीमती नीलम मकानि 22 से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे हुऐ 10000/– रूपये के नोट परिवादी के पहने हुऐ लॉवर की सामने की नीचे की दाहिनी तरफ की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को पूर्व में समझाईश व निर्धारित ईशारे के बारे में हिदायत दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय 16 जीबी मेमोरी कार्ड को चालू व बन्द करने की विधि समझा कर उसकी पहने हुये शर्ट की उपरी जेब में रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई व श्रीमती नीलम मकानि 22 को जयपुर के लिए रवाना किया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री दीपक सिह की लैब पर आने का मालूम करने के लिए परिवादी श्री नरपत सिंह के मोबाईल नम्बर.8742804533.से आरोपी श्री दीपक सिह के मोबाईल नम्बर 9950881886 पर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री दीपक सिंह ने 10–15 मिनट में आने के लिए कहा। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नरपत सिंह को परिवादी की मोटरसाईकिल पर रवाना किया तथा श्रीमती अनिता मीणा पुलिस निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि न 438, श्री इन्द्र सिंह कानि न 148 को पुलिस थाना तूंगा के पास मुकिम रहने के निर्देश देकर रवाना किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक, श्री नाथूलाल उप निरीक्षक, श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षी न 09, श्री सरदार सिंह कानि न 187, रजनीश कानि न 228, श्री धर्मवीर सिंह कानि न 236, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश सिंह व श्री सुरेन्द्र कुमार मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन चालक के परिवादी के पीछे पीछे रवाना होने पर मनोहर अस्पताल एंव डेन्टल क्लिीनिक से पूर्व परिवादी मोटरसाईकिल को रोककर खडा हुआ तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने भी सरकारी वाहन साईड में रूकावकर परिवादी को पुनः मुनासिब हिदायत देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर

रवाना किया एंव स्वतंत्र गवाह व जाप्ता को मनोहर अस्पताल एंव डेन्टल क्लीनिक के आस पास रूककर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुऐ। समय 09.05 एएम पर परिवादी श्री नरपत सिंह ने मनोहर अस्पताल एंव डेन्टल क्लिनिक के बेसमेंट मे स्थित लैब से बाहर निकलकर पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन–देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के परिवादी श्री नरपत सिंह के पास गया तथा परिवादी श्री नरपत सिंह से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा एसीबी लिया तथा परिवादी श्री नरपत सिंह को साथ लेकर मनोहर अस्पताल एंव डेन्टल क्लीनिक के बेसमेंट में स्थित लैब के अन्दर गये, जहां पर सामने कुर्सी पर बैठे हुऐ व्यक्ति की ओर ईशारा करके बताया कि यह श्री दीपक सिंह है जिन्होने अभी अभी मेरे से श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक को देने के लिए 10,000 रूपये हाथ में नही लेकर टेबल पर रखवा लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व स्वतंत्र गवाहान एंव एसीबी टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री दीपक सिंह बांकावत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह बाकावत उम्र 30 साल पेशा लैब टेक्नीशीयन निवासी गांव तूंगी पोस्ट तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल मनोहर अस्पताल एंव डेन्टल क्लिनिक के बेसमेट में स्वयं की लैब होना बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नरपत सिंह से राशि लेने के बारे में पूछा तो बताया कि श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना तूंगा जयपुर में है जो मेरे जानकार है तथा श्री नरपत सिंह के विरूद्व पुलिस थाना तूंगा में दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने एवं मदद करने के लिए श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक ने मुझे कल दिनांक 09.05.2022 को समय 07.57 पीएम पर फोन कर कहा कि श्री नरपत सिंह अभी मेरे पास आया है जो कल तुम्हे 10 हजार रूपये देकर जायेगा, जो तुम रख लेना। उक्त 10 हजार रूपये ही श्री नरपत सिंह ने आज मुझे दिये है जो श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक के कहने पर मैने श्री नरपत सिंह से मेरे सामने रखी टेबल पर बिछे प्लास्टिक के कवर के नीचे रखवाया। इसके पश्चात परिवादी श्री नरपत सिंह ने आरोपी दीपक सिंह बांकावत द्वारा कही बातो को ताईद करते हुये बताया कि मैने दिनांक 04.05.2022 को मेरे मजूदरी के 6000 रूपये श्री हनुमान शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा निवासी ग्राम नगराजपुरा से लेने के लिए उसके खेत पर गया तो श्री हनुमान शर्मा ने पैसे देने के लिए मना कर दिया तथा मेरे से झगडने लगा, इस पर मैने पुलिस कन्ट्रोल के 100 नम्बर पर कॉल किया तो पीसीआर की गाडी लेकर चार पांच पुलिस वाले आये तथा मुझे पुलिस थाना तूंगा लेकर आ गये तथा मेरे साथ मारपीट की। इसके पश्चात दिनांक 04.05.2022 व दिनांक 05.05.2022 को थाना में रखकर दिनांक 06.05.2022 को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया तथा मेरा मोबाईल फोन व 10700 रूपये रख लिये। इसके पश्चात इसी दिनांक को मुझे बस्सी पेश किया, जहां पर मेरी जमानत होने पर मैने पुलिस थाना तूंगा पर जाकर श्री छाजूलाल एएसआई से मिला तथा मेरा फोन व 10700 रूपये लेने के कहा तो उन्होने मुझे मेरा फोन तो दे दिया किन्तु जप्ती के 10,700 रूपये नही दिये। तथा मुझे कहा कि श्री हनुमान शर्मा ने तेरे खिलाफ शिकायत दी है, अगर तू मुझे 25000 रूपये देता है तो तेरी मदद कर देंगे। इस पर मैने दिनांक 07.05.2022 को एसीबी के नम्बर 1064 पर कॉल कर श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक के विरूद्व मौखिक शिकायत दर्ज करवाने पर उसी दिनांक को श्री धर्मवीर सिंह कानि के साथ मांग सत्यापन हेतु श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक से मिला तो उसने मेरे से 25000 रूपये की मांग की तथा मैने कुछ कम करने के लिए कहा तो उसने 20000 रूपये पर सहमति दी तथा आरोपी श्री छाजूलाल ने दिनांक 06.05.2022 को पूर्व में रखी मेरी राशि 10700 में से 290 रूपये मुझे दे दिये तथा 10000 रूपये मांग सत्यापन के समय प्राप्त कर लिये व शेष राशि 410 रूपये खर्च होना बताया। आरोपी श्री छाजूलाल ने 10000 की और मांग की, इस पर मै दिनांक 09.05.2022 को एसीबी टीम के साथ आकर श्री छाजूलाल से समय 7.25 पीएम पर मिला तो उसने रिश्वत राशि 10000 रूपये स्वंय नही लेकर श्री दीपक सिंह को देने के लिए कहा, जिस पर मै दीपक सिंह की लैब पर गया तो लैब बंद मिली। इस पर दिनांक 10.05.2022 को देने का निर्णय लिया। इसके पश्चात आज दिनांक 10.05.2022 को श्री दीपक सिंह से मिला तो उसने उक्त राशि हाथ मे नही लेकर टेबल के उपर बिछे प्लास्टिक के कवर के नीचे रखवाने के पश्चात मैने आपको ईशारा किया। इसके पश्चात आरोपी श्री दीपक सिंह द्वारा रिश्वत राशि 10000 रूपये श्री छाजू लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस के लिये लेना बताया है जिसकी पुष्टि के लिये आरोपी श्री दीपक सिंह के मोबाईल नं. 9950881886 से आरोपी श्री छाजू लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9928986191 पर समय 09.16 एएम पर कॉल कर श्री दीपक सिंह के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर बात करवाये जाने पर श्री दीपक सिंह कहता है कि **"दस तो दे गयो थाना दस छ ही,"** तो आरोपी श्री छाजू लाल कहता है कि **"ठीक है ठीक है,"** उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तथा श्री छाजू लाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने रिश्वत राशि 10000 रूपये प्राईवेट व्यक्ति श्री दीपक सिंह के मार्फत प्राप्त करने

की पुष्टि होती है। इस पर पूर्व में पुलिस थाना तूगां के पास मुकिम श्रीमती अनीता मीना, पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिये की आप जाब्ते के साथ जाकर आरोपी श्री छाजू लाल को डिटेन कर पुलिस थाने पर रखे हम वहीं आ रहे है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार से टेबल पर बिछे प्लास्टिक के कवर के नीचे से रिश्वत राशि उठाई जाकर दोनो स्वतंत्र गवाह से गिनवाने पर 500–500 के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना पाया गया जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7UF-150751
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0CM-157365
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1UH-529952
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3NR-430932
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4RD-067749
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6KP-166078
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8QV-138467
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7HR-583045
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0NF-682189
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7UK-137211
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9EC-120470
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EP-936735
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9DP-293193
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BK-645293
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5CD-189123
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1GK-202983
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9EB-508169
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9CC-194859
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CN-217134
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8PP-311711

उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद ट्रैप बाक्स में से स्वच्छ रूई की चिंदी निकालकर टेबल व प्लास्टिक के कवर पर जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखवाई गई थी उक्त स्थान पर रूई की चिन्दी से रगडकर रूई की चिन्दी को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क टी–1 व टी–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात उक्त टेबल पर बिछे प्लास्टिक के कवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर मार्क पी अंकित किया जाकर वजह सबूत जप्त किया तथा उक्त रूई की चिंदी को सुखाकर प्लास्टिक की थैली रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया जाकर सील्ड कर मार्क सी अंकित कर वजह सबूत जप्त किया। आरोपी श्री दीपक सिंह द्वारा रिश्वत राशि हाथ में नहीं लेकर टेबल पर रखवायी जाने पर हाथ का धोवन नहीं लिया गया। आरोपी श्री दीपक सिंह ने रिश्वत राशि मनोहर अस्पताल एंव डेन्टल क्लिीनिक के बेसमेंट में स्थित लैब में ली है जहां पर

काफी भीड़भाड़ होने से अग्रिम कार्यवाही के लिये पुलिस थाना, तूगां में जाकर करने का निर्णय लिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय जब्त शुद्वा आर्टिकल व रिश्वत राशि 10000 रूपये मय आरोपी श्री दीपक सिंह को साथ लेकर समय 10.00 ए.एम. पर रवाना होकर पुलिस थाना तूंगा पर समय 10.10 एएम पर पहुचे, जहां पर श्रीमती अनीता मीना, पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान डिटेन शुदा आरोपी छाजूलाल उपस्थित मिले। इसके पश्चात अग्रिम लिखा पढी की कार्यवाही पुलिस थाना तूंगा जयपुर में प्रारम्भ की। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमती अनिता मीणा पुलिस निरीक्षक ने बताया कि मैने आपके निर्देश पर पुलिस थाना तूंगा में जाकर श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक के बारे पूछा तो थाने के संतरी ने बताया कि हवालात के पास स्थित कमरे में छाजूलाल जी बैठे है जिसके बाद हवालात के पास स्थित अनुसंधान कक्ष में एक व्यक्ति बैठा मिला जिसे पूछा कि श्री छाजूलाल जी कौन है तो बताया कि मै ही छाजूलाल हूँ तो उसे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय दिया तथा श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक को उसी कक्ष में आपके आने तक बैठाकर रखा। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक को स्वयं व स्वतंत्र गवाह एंव एसीबी टीमका परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री छाजूलाल शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा उम्र 53 साल जाति ब्राहम्ण पेशा नौकरी निवासी नरहरिपुरा तहसील चाकसू पुलिस थाना शिवदासपुरा जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना तूगा जिला जयपुर होना बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक से 10000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक कुछ नही बोला तथा गर्दन नीचे कर लिया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः पूछने पर उसने बताया कि श्री नरपत सिंह के विरूद्व पुलिस थाना तूंगा में प्रकरण संख्या 120/22 दर्ज है तथा दिनांक 06.05.2022 को 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया था तथा जामा तलाशी मे एक मोबाईल फोन मिला था। श्री नरपत सिंह को दिनांक 06.05.2022 को सहायक पुलिस आयुक्त बस्सी जयपुर आयुक्तालय जयपुर के समक्ष पेश करने पर उसकी जमानत होने के पश्चात मेरे पास आया था तो मैने उसको मोबाईल फोन तो दे दिया तथा मैने श्री नरपत सिंह को बताया कि तेरे खिलाफ श्री हनुमान शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई है। मैने इससे कोई रिश्वत राशि नही मांगी। इसके पश्चात मौके पर उपस्थित श्री नरपत सिंह ने आरोपी श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक के कही बातो का खंडन करते हुये बताया कि आरोपी श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक झूठ बोल रहे है। मुझे दिनांक 04.05.2022 को समय 11.30 पीएम पर पुलिस थाना तूंगा में लाकर बंद कर दिया तथा दिनांक 06.05.2022 को मेरी जमानत होने पर मेरा मोबाईल फोन व 10700 रूपये लेने आया तो श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक ने मुझे कहा कि श्री हनुमान शर्मा ने तेरे खिलाफ शिकायत दी है जिसमे एफआर लगाकर मदद करने की एवंज में 25000 रूपये मांग की। जिस पर मैने दिनांक 07.05.2022 को एसीबी के नम्बर 1064 पर कॉल कर श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक के विरूद्व मौखिक शिकायत दर्ज करवाने पर उसी दिनांक को श्री धर्मवीर सिंह कानि के साथ मांग सत्यापन करने पर आरोपी श्री छाजूलाल ने 25000 रूपये की मांग कर 20000 रूपये पर सहमति दी तथा 10700 रूपये में से 290 रूपये मुझे दिये तथा 410 रूपये चाय पानी के खर्च होना बताकर 10000 रूपये मांग सत्यापन के समय प्राप्त कर लिये। इसके पश्चात 10000 रूपये और लेने के लिए कहने पर मै दिनांक 09.05.2022 को श्री छाजूलाल सहायक उप निरीक्षक के पास 07.25 पीएम पर गया तो उन्होने श्री दीपक सिंह को देने के लिए कहा। जिस पर मै दीपक सिंह की लैब पर गया तो वह बंद हो गई। इस पर आज दिनांक 10.05.2022 को श्री दीपक सिंह को 10000 रूपये देने के लिए गया तो श्री दीपक सिंह ने 10000 रूपये टेबल पर बिछे प्लास्टिक के कवर के नीचे रखवाकर प्राप्त किये है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री छाजूलाल को परिवादी श्री नरपत सिंह से दिनांक 09.05.2022 को हुई वार्ता तथा मांग सत्यापन के दौरान 10000 रूपये प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उसने कुछ नही कहा व गर्दन नीचे कर ली। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नरपत सिंह के विरूद्व दर्ज प्रकरण व इस्तगासा 151 सीआरपीसी व गिरफ्तारी की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करने के लिए थानाधिकारी पुलिस थाना तूंगा को पत्र जारी किया। जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना तूंगा द्वारा परिवादी श्री नरपत सिंह

के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 120/2022 की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया व दिनांक 06.05.2022 का इस्तगासा 151 सीआरपीसी प्रस्तुत किया। जिसको अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण संख्या 120/2022 धारा 341, 382 आईपीसी में श्री नरपत सिंह के विरूद्व होना पाया गया व 151 सीआरपीसी के इस्तगासा का अवलोकन करने पर श्री नरपत सिंह की गिरफ्तार में जामा तलाशी मे कोई राशि नही दशाई गई, जबकि 10700 रखने व 10000 प्राप्त करने की पुष्टि मांग सत्यापन के दौरान होती है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वाता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक के अनुसंधान कक्ष की सरी सरी तौर पर तलाशी ली गई तो अनुसंधान से संबधित पत्रावली व 4000 रूपये मिले। अनुसंधान पत्रावली को सुरक्षित रखवाया तथा 4000 रूपये के बारे में आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक को पूछा तो उसने बताया कि उक्त राशि मेरे खर्च की है। इस पर उक्त राशि आरोपी श्री छाजूलाल के कहे अनुसार श्री अमर सिंह सहायक उप निरीक्षक को 4000 रूपये को सुपुर्द किये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री दीपक सिंह के मोबाईल फोन वीवो कम्पनी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्डकर मार्क डी अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त कर फर्द जप्ती शामिल कार्रवाई की गई व आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल फोन वीवो कम्पनी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर मार्क एम अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त कर फर्द जप्ती शामिल कारवाही की गई। इसके पश्चात आरोपीगण श्री दीपक सिंह व आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक को पृथक पृथक फर्द प्राप्ति नमूना आवाज देने के लिये नोटिस दिया जाने पर दोनो ने पृथक पृथक आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ। अंकित किया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री दीपक सिंह प्राईवेट व्यक्ति व आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया । मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक व आरोपी श्री दीपक सिंह जब्त शुदा आर्टिकल्स टी–1,टी–2,पी, सी एंव जप्त शुदा मोबाईल मार्क एम व डी व रिश्वती राशि 10000 रूपये मय लैपटॉप प्रिन्टर व ट्रैप बॉक्स मय सरकारी वाहन मय चालक के जयपुर के लिए रवाना होकर जयपुर एसीबी कार्यालय पहुँचे। इसके पश्चात दिनांक 11.05.2022 को परिवादी श्री नरपत सिंह ने उपस्थित कार्यालय होकर दिनांक 09.05.2022 को परिवादी के फोन नम्बर 8742804533 पर श्री दीपक सिह के मोबाईल फोन नम्बर 9950881886 से समय 08.09 पीएम.पर फोन आया तथा उक्त वार्ता को परिवादी ने स्वयं के मोबाईल फोन में रिकॉर्डर कर ली थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को परिवादी से कार्यालय की ईमेल आईडी सेन्ड करवाई गई। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र सिंह तंवर व श्री सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर दिनांक 09.05.2022 को हुई वार्ता व दिनांक 10.05.2022 को परिवादी एवं आरोपीगण श्री छाजूलाल व श्री दीपक सिंह के मध्य मांग लेन देन के दौरान हुई वार्ता व दिनांक 10.05.2022 को आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा व आरोपी श्री दीपक सिंह के मोबाईल पर हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया तथा व दिनांक 09.05.2022 को परिवादी व आरोपी श्री दीपक सिंह के मोबाईल पर हुई वार्ता को कार्यालय के ईमेल आईडी से प्राप्त कर कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर तीन सीडीया बनाई गई व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड 16 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एसडी अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्त एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा उम्र 53 साल जाति ब्राहम्ण पेशा नौकरी निवासी नरहरिपुरा तहसील चाकसू पुलिस थाना शिवदासपुरा जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना तूगा जिला जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ आरोपी श्री दीपक सिंह बांकावत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह बाकावत उम्र 30 साल पेशा लैब टेक्नीशीयन निवासी गांव तूंगी पोस्ट तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर से आपसी मिलिभगत कर परिवादी श्री नरपत सिंह के विरूद्व पुलिस थाना तूंगा में दर्ज प्रकरण संख्या 120/2022 में एफआर लगाकर मदद करने की एवज में आरोपी श्री छाजूलाल द्वारा 25000 रूपये की मांग कर दिनांक 07.05.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 20,000 रूपये में सहमति देकर पूर्व में परिवादी को गिरफ्तार करने के समय रखे 10,700 रूपये में से 410 रूपये खर्च होना व परिवादी को 290 रूपये देकर शेष 10,000 प्राप्त करना व दिनांक 10.05.2022 को लेन देने के समय अपनी मांग के अनुशरण में आरोपी श्री दीपक सिंह के मार्फत रिश्वती राशि 10,000 रूपये प्राप्त करना पाया गया तथा परिवादी का कार्य आरोपी के पास लम्बित होना पाये जाने से आरोपी श्री छाजूलाल शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा उम्र 53 साल जाति ब्राहम्ण पेशा नौकरी निवासी नरहरिपुरा तहसील चाकसू पुलिस थाना शिवदासपुरा जिला जयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना तूगा जिला जयपुर व आरोपी श्री श्री दीपक सिंह बांकावत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह बाकावत उम्र 30 साल पेशा लैब टेक्नीशीयन निवासी गांव तूंगी पोस्ट तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की गई।

(मूलचंद मीना) 11-5-22
पुलिस निरीक्षक,
जयपुर नगर–चतुर्थ
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचंद मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री छाजूलाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना तुंगा, आयुक्तालय जयपुर पूर्व एवं 2. श्री दीपक सिंह बांकावत पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, निवासी तुंगा तह. बस्सी पुलिस थाना तुंगा हाल लेब टेक्निसीयन, मनोहर हॉस्पीटल एवं डेन्टल क्लिनिक तुंगा जिला जयपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 180/2021 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1593-97 दिनांक 11.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), आयुक्तालय, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

11.5.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।